

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2022/62478/VRN/VARANASI/1751/CFO**
दिनांक: **28-08-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAMESH SINGH SHIVMURTI PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Arazi No- 216, 217,,Govindpur, Rohania,VARANASI** तहसील - **RAJATALAB** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
1	3	0	10.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **1690.05 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RAMESH SINGH SHIVMURTI PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **31-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **YOGENDRA PRATAP SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-09-2026** से **31-08-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

- Note :** 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा।
2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के क्रियाशीलता के सम्बन्ध में प्रत्येक 06 माह में स्व प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
5. शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Anand Singh Rajput)

[F53AFB31B239B13432571E6E5CA0E699F0912896]

01-09-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **01-09-2026**
स्थान : **VARANASI**